

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>रिड़मलराम बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 63/2019</p>	<p>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>27.05.19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रिड़मलराम पुत्र पुसाराम निवासी ग्राम थबुकड़ा तह. व जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 08.03.19 में उसके द्वारा (1) दिनांक 12.02.19 को ग्राम थबुकड़ा के ख.नं. 239 से अतिक्रमण हटाने का प्रार्थना पेश किया गया उस पर आज दिन तक क्या क्या कार्यवाही हुई व अन्य बिन्दुओं , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.((अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 583 दिनांक 16.05.19 के तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया कि प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग, कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र संख्या 572 दिनांक 13.05.19 के जरिये 25 पृष्ठीय सूचना निशुल्क प्रेषित की जा चुकी है। चूकि प्रार्थी को अपील दायर होने के पश्चात् 25 पृष्ठीय सूचना प्रेषित की जा चुकी है, अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	